शपथ पूर्वक कथन

अशोक कुमार पोयाम सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली तहसील बास्तानार जिला बस्तर
र होकर शपथ पूर्वक कथन व्यक्त करता हूं कि मेरे पंचायत के आधिनस्थ ग्राम
मेरा के आँगनवाडी कार्यकर्ता के खिलाफ मेरे द्वारा किसी भी विभाग के
धिकारी व किसी भी संस्था के अधिकारी को कोई शिकायत पत्र नही भेजा
गा है। मेरे कुछ ग्रामवासियो को किसी व्यक्ति के द्वारा कोरे कागजो पर
ताक्षर करवा कर एवं पार्टी मिटींग जाने के बहाने गांव में गाडी भिजवाकर
धिकारी के समक्ष ले जाकर उनके जानकारी के बगैर शिकायत पत्र
या गया है। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है।

माननीय महोदय को अवगत कराना चाहता हूं
5 ग्राम पुसेम के आँगनवाडी कार्यकर्ता रुक्मणी सन्मान के बारे में
- उनके कार्यकाल मे व उनके द्वारा किसी भी प्रकार का मेरे ग्राम
ंचायत एवं ग्राम पुसेम के वासियो के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई
कायत नही की गई है।

मेरे शपथ पत्र मे मेरे हस्ताक्षर के निचे सरपंच ग्राम
चायत बिरगाली जनपद पँचायत बास्तानार का नमूने की सील भी लगी है
सके अतिरिक्त साक्षी के तौर पर 06 अन्य लोगो का हस्ताक्षर भी है
े कि सत्य एवं सही है।

उक्त कथन के लिए मुझे जिस भी अधिकारी व
यायालय मे उपस्थित होना पडेगा वहां मै उपस्थित हो जाऊंगा। यह मेरा
कथन है।

अशोक
सरपंच
ग्राम पंचायत बिरगाली
जनपद पंचायत बास्तानार

पेखा
फागा
भीमसेन
पंच
दशमन
सुखराम
पाडु
लखमा
बुधा
बारी

कार्यालय जनपद पंचायत बास्तानार, जिला बस्तर (छ.ग.)

//आदेश//

क्र. / जन.स्था. / 2023–24 बास्तानार, दिनांक / / 2023

//सेवा समाप्ति आदेश//

महिला एवं बाल विकास समिति के बैठक दिनांक 29.09.2023 को श्रीमती रूकमणी **सज्जन**, आं.बा. केन्द्र पुसेम के विरूद्ध ग्राम पंचायत बिरंगाली पुसेम के ग्रामिणो द्वारा शिकायत के विरूद्ध जांच किया गया था। उक्त **प्रकरण** को स्थाई समीति के बैठक में सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु रखा गया था। समीति **के सदस्यों** द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात श्रीमती रूखमणी सज्जन आंगनबाड़ी **कार्यकर्ता** पुसेम को कार्यकर्ता पद से सेवा समाप्ति किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया है।

अतः श्रीमती रूखमणी **सज्जन** को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से सेवा समाप्ति की जाती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बास्तानार

पृ.क्र. / **जन.स्था. / 2023–24** **बास्तानार**, दिनांक / / 2023

प्रतिलिपि :–

01. जिला **कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास** विभाग जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. परियोजना अधिकारी, **एकीकृत बाल विकास परियोजना** बास्तानार को सादर सूचनार्थ।
03. ग्राम पंचायत बीरगाली, एवं ग्राम वासियों **को** सूचनार्थ
04. श्रीमती रूकमणी सज्जन, आंगनबाड़ी **कार्यकर्ता**–पुसेम को सूचनार्थ
05. श्रीमती बुदरी नाग सेक्टर पर्यवेक्षक बास्तानार को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बास्तानार

प्रति,

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बास्तानार।

विषय :– कारण बताओं सुचना का स्पष्टीकरण।

संदर्भ :–
1. आपका पत्र क्र. 149/लेखा/2023–24 बास्तानार दिनांक 18/08/2023.
2. आपका पत्र क्र. 122/लेखा/2023–24 बास्तानार दिनांक 18/07/2023 एवं जिला कार्यालय का पत्र क्रमांक/697/मबावि/आईसीडीएस/2023–24 दिनांक 28.06.2023 के जवाब एवं स्पष्टीकरण में प्रस्तुत मेरा आवेदन–पत्र दिनांक ..../07/2023.

महोदय,

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. (01) के तारतम्य में लेख है कि, आपके द्वारा दिनांक 12/08/2023 को समय दोपहर 12:35 बजे आंगनबाड़ी पुसेम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, निरीक्षण के दौरान केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्थात मैं एवं सहायिका दोनों अनुपस्थित पायी गई। आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित मकान मालकिन श्रीमती जमलो बाई साई थी। आंगनबाड़ी केन्द्र में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। पूर्व में कारण बताओं नोटिस तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थानांतरण एवं सामग्री नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उक्त कारण बताओं नोटिस के संबंध में आपको अवगत कराना चाहुँगी कि, वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी संचालन के अतिरिक्त जाति, निवास, जन्म प्रमाण–पत्र आदि का सत्यापन कार्य जैसे अतिरिक्त कार्य सौंपे गये हैं, जिसके संबंध में ग्राम के सरपंच, कोटवार, सचिव आदि के हस्ताक्षर आवश्यक जो पंचायत कार्यालय में मिलते है तत् समय मैं उसी कार्य के संबंध में 12:00 बजे आंगनबाड़ी केन्द्र से सहायिका को बच्चों को गरम भोजन पश्चात् छुट्टी करने की बात कहकर हस्ताक्षर कराने पंचायत कार्यालय गयी हुई थी, जिस कारण आंगनबाड़ी केन्द्र में उस समय मैं नहीं पायी गयी तथा 12:30 बजे तक सभी बच्चें गर्म भोजन कर आंगनबाड़ी केन्द्र से अपने–अपने घर को चले जाते हैं। यदि कोई अपने निजी मकान में जहाँ केन्द्र संचालित है वहां दोपहर में आराम कर रहा हो तो उसके लिये मैं किस प्रकार से जिम्मेदार हुँ? आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु मुझे आज पर्यन्त तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण में केन्द्र संचालन हेतु कैसे किसी अन्यत्र भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थानांतरण कर सकती हुँ किन्तु इसके उपरांत भी मेरे द्वारा मुझे प्राप्त सुपरवाईजर के मौखिक आदेश पर शिक्षा विमाग से सम्पर्क किया गया है किन्तु उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अनुमति के पश्चात् ही कार्यवाही करने एवं अतिरिक्त कक्ष आबंटन का आश्वासन प्राप्त हुआ है, जिस समय कक्ष का आबंटन प्राप्त होगा उस समय सभी सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्र में ही व्यवस्थित रूप में रखा जाना संभव हो पायेगा। संदर्भित क्र. (02) में उल्लेखित पत्रों के माध्यम से मेरे द्वारा पूर्व में ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। जिस पर मेरे द्वारा निष्पक्ष जाँच करने हेतु स्पष्टीकरण सह अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है। बिना किसी कारण से मुझ पर जानबूझ का आरोप लगाया जाना मुझसे निजी दूश्मनी का आभास कराता है। जोकि, सिविल सेवा आचरण के विरूद्ध है।

अतः कारण बताओं नोटिस संदर्भित क्र. (01) आपका पत्र मुझे स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25/08/2023 को प्राप्त कर आज 03 दिवस के भीतर मेरा स्पष्टीकरण सादर प्रस्तुत है।

स्थान :– बास्तानार।

दिनांक :– 28/08/2023

प्रार्थिया

(रुकमणी सज्जन)
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
आंगनबाड़ी केन्द्र – पुसेम

Scanned with OKEN Scanner

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.)।

विषय :– परियोजना अधिकारी, एकीकृत **बाल विकास** परियोजना बास्तानार द्वारा प्रस्तुत जांच **प्रतिवेदन के** संबंध में कारण बताओं सूचना–**पत्र।**

संदर्भ :–
1. आपका पत्र क्र./862/मबावि/**आईसी**डीएस/2023–24 दिनांक 21.06.2023.
2. परियोजना अधिकारी एकी0 **बाल विकास** परियोजना बास्तानार का पत्र 122/लेखा/2023–24 बास्तानार दिनांक **18/07/**2023 के स्पष्टीकरण में मेरा जवाब दि0 28.07.2023.

–0–

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत **संदर्भित पत्र के तारतम्य** में निवेदन कर लेख है कि, मैं विगत 20 वर्षों से विकासखण्ड – बास्तानार के **बिरगाली पंचायत, ग्राम** – पुसेम, के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्यरत् होने के **उपरांत आज** दिनांक तक मुझे केवल 02 स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है जोकि, निराधार है। संदर्भित पत्र **के संबंध में** मेरा जवाब निम्नानुसार बिन्दुवार प्रस्तुत है :–

01 यह कि, **मैं विगत 20 वर्षो** से आंगनबाड़ी **केन्द्र पुसेम** में आंबां कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हूँ। जोकि, **नक्सल क्षेत्र है। मेरे द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के समस्त कार्यों का सम्पादन** किया जाता है एवं समस्त **रिकार्ड का संधारण भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। यदि मैं** महिने में 1 या 2 बार केन्द्र जाकर **सहायिका को** आदेश कर चली जाती तो **उक्त कार्य करने** में सक्षम नहीं होती। दिनांक 14.07.2023 दिन शुक्रवार को आपके द्वारा समय 03.25 बजे **केन्द्र का** निरीक्षण किया गया । जो कि, केन्द्र के बंद होने समय था। मुझे आवश्यक घरेलु कार्य **होने के कारण मैं** केन्द्र से 15–20 मिनट पूर्व ही चली गयी थी, जिसकी जानकारी सहायिका के नाती **बामन ने परिवेक्षक** मैडम को दिया। विभाग को कई बार इस बात से भी अवगत कराया गया है कि, पुसेम **आंगनबाड़ी** केन्द्र का भवन अति जर्जर अवस्था में है, जिस कारण एक वर्ष पूर्व से ही सहायिका के **निवास पर** आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किया जा रहा है जोकि, परियोजना अधिकारी की जानकारी में है **जिसका उनके** द्वारा मेरी उपस्थिति में कई बार निरीक्षण भी किया जा चुका है। इससे आंगनबाड़ी केन्द्र **के बंद होने** का प्रश्न ही नहीं उठता है।

02. यह कि, मेरे घर पर मेरे परिवार वालों **द्वारा दुकान का संचालन** किया जाता है। आपको अवगत होगा कि, कार्यालय से पोषण आहार राशि 3 से **4 माह में भुगतान किया** जाता है अन्य दुकान से समान क्रय किये जाने पर भुगतान में देरी के कारण **दुकानदार** द्वारा समूहों को समान देना बंद कर दिया है। इस कारण वे मेरे यहाँ से समान लेते है। समूहों **को समान** क्रय करने की स्वतंत्रता है कि, वे कहीं से भी समान ले सकते है मेरे द्वारा कभी–भी किसी **समूह** के सदस्यों को केवल मेरे दुकान से समान लेने के लिये दबाव नहीं बनाया गया है। इस विषय **में आप** समूहों से पूछताछ कर सकते हैं।

CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर
जिला -बस्तर,छ0ग0

श्रीमती रुखमणी सज्जन .... आवेदिका

विरूद्ध

1 जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकाश विभाग
कर्यालय कलेक्टर जगदलपुर
जिला-बस्तर छ0ग0

2 सीईओ जनपद पंचायत बास्तानार
जिला-बस्तर छ0ग0 .... अनावेदकगण

शपथ पत्र

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया सहिता।

मैं महेश पोयामी पिता श्री रामा पोयामी आयु 29 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कवरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-वस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ :-

1. यह कि मैं ग्राम पंचायत बिरगाली का निवासी होकर आवेदिका को नाम एवं चेहरे से अच्छि तरह से जानता व पहचानता हूँ। वह 15-20 पूर्व से मेरे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पुसेम में आंगन बाडी कार्य करता के तौर पर कार्य कर रही है। उक्त आवेदिका के विरूद्ध मेरे द्वारा एवं पंचायत के पटेल, कोट्वार एवं किसी भी पच के द्वारा उनके विरूद्ध शिकायत पत्र किसी भी अधिकारी या किसी भी कार्यालय में नहीं दिया गया है।

2. यह कि आवेदिका को किस कारण से ग्राम पुसेम के आंगन बाडी कार्यकर्ता के पद से हटाया गया है उसकी जानकारी हमे बिलकुल भी नही है। जिस किसी भी अधिकारी व कर्मचारी उक्त आंगन वाडी कार्यकर्ता के विरूद्ध जो शिकायत पत्र दे कर के पदमुक्त कर दिया गया है। वह झूठ व शाजिस के तहत किया गया है।

3. यह कि जिस तिथि को आवेदिका के विरूद्ध शिकायत पत्र दिया गया था उक्त तिथि को किसी उक्त तिथि को किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा सवारी वाहन भीजवाकर सम्मेलन में जाना है कहकर फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदिका के विरूद्ध झूठी शिकायत पत्र देकर पद मुक्त करा दिया गया है जो सरासर अन्याय है। ग्राम पुसेम की आंगन बाडी कार्यकर्ता बहूत ही अच्छी व मिलनसार तथा गरीबों की मद्द करने वाली महिला है तथा वह बेकसुर है।

4 यह कि आवेदिका के पक्ष में निर्दोषिता करने एवं उसे पद पर बहाल किये जाने बाबत् उक्त शपथ पत्र माननीय न्याया‌ल के समक्ष उक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा शपथ आयुकत जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर किया गया है।

महेश
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं महेश पोयामी पिता श्री रामा पोयामी आयु 29 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कबरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 01 से 04 तक के समस्त तथ्य सत्य एवं सही है और आज दिनांक 17/11/2023 को स्थान जगदलपुर में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक :- 17/11/2023

भानु प्रसाद चौरसिया शपथ आयुक्त जगदलपुर, जि. बस्तर (छ.ग.)

महेश
सत्यापनकर्ता

CANCELLED

२ रु. कोर्ट फी Rs. 2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर जिला -बस्तर,छ0ग0।

श्रीमती रुखमणी सज्जन .... आवेदिका.

विरूद्ध

1 जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकाश विभाग
कर्यालय कलेक्टर जगदलपुर
जिला-बस्तर छ0ग0

2 सीईओ जनपद पंचायत बास्तानार
जिला-बस्तर छ0ग0 .... अनावेदकगण

शपथ पत्र

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया सहिता।

मैं अशोक कुमार पोयाम पिता श्री जोगो आयु 27 वर्ष जाति-माड़िया,निवासी-ग्राम डोकम,ग्रामपंचायत-कबरगाली,थाना-बुरगुम,तहसील-बास्तानार,जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ :-

1. यह कि मैं ग्राम डोकम का ग्राम पटेल हूँ आवेदिका को नाम एवं चेहरे से अच्छि तरह से जानता व पहचानता हूँ। वह 15-20 पूर्व से मेरे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पुसेम में आंगन बाडी कार्य करता के तौर पर कार्य कर रही है। उक्त आवेदिका के विरूद्ध मेरे द्वारा एवं पंचायत के पटेल, कोट्वार एवं किसी भी पच के द्वारा उनके विरूद्ध शिकायत पत्र किसी भी अधिकारी या किसी भी कार्यालय में नहीं दिया गया है।

2. यह कि आवेदिका को किस कारण से ग्राम पुसेम के आंगन बाडी कार्यकर्ता के पद से हटाया गया है उसकी जानकारी हमे बिलकुल भी नही है। जिस किसी भी अधिकारी व कर्मचारी उक्त आंगन बाडी कार्यकर्ता के विरूद्ध जो शिकायत पत्र दे कर के पदमुक्त कर दिया गया है। वह झूठा व शाजिस के तहत किया गया है।

3. यह कि जिस तिथि को आवेदिका के विरूद्ध शिकायत पत्र दिया गया था उक्त तिथि को किसी उक्त तिथि को किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा सवारी वाहन भीजवाकर सम्मेलन में जाना है कहकर फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदिका के विरूद्ध झूठी शिकायत पत्र देकर पद मुक्त करा दिया गया है जो सरासर अन्याय है। ग्राम पुसेम की आंगन बाडी कार्यकर्ता बहूत ही अच्छी व मिलनसार तथा गरीबों की मद्द करने वाली महिला है तथा वह बेकसुर है।

4 यह कि आवेदिका के पक्ष में निर्दोषिता करने एवं उसे पद पर बहाल किये जाने बाबत् उक्त शपथ पत्र माननीय न्यायाल के समक्ष उक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा शपथ आयुकत जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर किया गया है।

अशोक
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं अशोक कुमार पोयाम पिता श्री जोगो आयु 27 वर्ष जाति-माड़िया,निवासी-ग्राम डोकम,ग्रामपंचायत-कबरगाली,थाना-बुरगुम,तहसील-बास्तानार,जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 01 से 04 तक के समस्त तथ्य सत्य एवं सही है और आज दिनांक 17/11/2023 को स्थान जगदलपुर में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक :- 17/11/2023

भानु प्रसाद चौरसिया शपथ आयुक्त जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

अशोक
सत्यापनकर्ता

CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर
जिला -बस्तर,छ0ग0

श्रीमती रुखमणी सज्जन

.... आवेदिका

विरुद्ध

1 जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकाश विभाग
कर्यालय कलेक्टर जगदलपुर
जिला-बस्तर छ0ग0

2 सीईओ जनपद पंचायत बास्तानार
जिला-बस्तर छ0ग0

.... अनावेदकगण

शपथ पत्र

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया सहिता।

मैं फग्गनुराम पोयामी पिता स्व0 सुकड़ा आयु 55 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कबरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ :

1. यह कि मैं ग्राम पंचायत बिरगाली का सरपंच होकर आवेदिका को नाम एवं चेहरे से अच्छि तरह से जानता व पहचानता हूँ। वह 15-20 पूर्व से मेरे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पुसेम में आंगन बाडी कार्य करता के तौर पर कार्य कर रही है। उक्त आवेदिका के विरुद्ध मेरे द्वारा एवं पंचायत के पटेल, कोट्वार एवं किसी भी पच के द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत पत्र किसी भी अधिकारी या किसी भी कार्यालय में नहीं दिया गया है।

2. यह कि आवेदिका को किस कारण से ग्राम पुसेम के आंगन बाडी कार्यकर्ता के पद से हटाया गया है उसकी जानकारी हमे बिलकुल भी नही है। जिस किसी भी अधिकारी व कर्मचारी उक्त आंगन बाडी कार्यकर्ता के विरुद्ध जो शिकायत पत्र दे कर के पदमुक्त कर दिया गया है। वह झूठा व शाजिस के तहत किया गया है।

3. यह कि जिस तिथि को आवेदिका के विरुद्ध शिकायत पत्र दिया गया था .उक्त तिथि को किसी उक्त तिथि को किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा सवारी वाहन भीजवाकर सम्मेलन में जाना है कहकर फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदिका के विरुद्ध झूठी शिकायत पत्र देकर पद मुक्त करा दिया गया है जो सरासर अन्याय है। ग्राम पुसेम की आंगन बाडी कार्यकर्ता बहूत ही अच्छी व मिलनसार तथा गरीबों की मद्द करने वाली महिला है तथा वह बेकसुर है।

4 यह कि आवेदिका के पक्ष में निर्दोषिता करने एवं उसे पद पर बहाल किये जाने बाबत् उक्त शपथ पत्र माननीय न्यायाल के समक्ष उक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा शपथ आयुकत जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर किया गया है।

फग्गनु
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं फग्गनुराम पोयामी पिता स्व0 सुकड़ा आयु 55 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कबरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 01 से 04 तक के समस्त तथ्य सत्य एवं सही है और आज दिनांक 17/11/2023 को स्थान जगदलपुर में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक :- 17/11/2023

भानु प्रसाद चौरसिया शपथ आयुक्त जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

फग्गनु
सत्यापनकर्ता

2 रु. कोर्ट फी Rs 2 COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES

CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर
जिला -बस्तर,छ0ग0

श्रीमती रुखमणी सज्जन .... आवेदिका

विरूद्ध

1 जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकाश विभाग
कर्यालय कलेक्टर जगदलपुर
जिला-बस्तर छ0ग0

2 सीईओ जनपद पंचायत बास्तानार
जिला-बस्तर छ0ग0 .... अनावेदकगण

शपथ पत्र

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया सहिता।

मैं सुखराम पोयामी पिता श्री रामा पोयामी आयु 56 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कबरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ :-

1. यह कि मैं ग्राम पंचायत बिरगाली का निवासी होकर आवेदिका को नाम एवं चेहरे से अच्छि तरह से जानता व पहचानता हूँ। वह 15-20 पूर्व से मेरे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पुसेम में आंगन बाडी कार्य करता के तौर पर कार्य कर रही है। उक्त आवेदिका के विरूद्ध मेरे द्वारा एवं पंचायत के पटेल, कोटवार एवं किसी भी पच के द्वारा उनके विरूद्ध शिकायत पत्र किसी भी अधिकारी या किसी भी कार्यालय में नहीं दिया गया है।

2. यह कि आवेदिका को किस कारण से ग्राम पुसेम के आंगन बाडी कार्यकर्ता के पद से हटाया गया है उसकी जानकारी हमे बिलकुल भी नही है। जिस किसी भी अधिकारी व कर्मचारी उक्त आंगन बाडी कार्यकर्ता के विरूद्ध जो शिकायत पत्र दे कर के पदमुक्त कर दिया गया है। वह झूठा व शाजिस के तहत किया गया है।

3. यह कि जिस तिथि को आवेदिका के विरूद्ध शिकायत पत्र दिया गया था उक्त तिथि को किसी उक्त तिथि को किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा सवारी वाहन भीजवाकर सम्मेलन में जाना है कहकर फर्जी हस्ताक्षर कर आवेदिका के विरूद्ध झूठी शिकायत पत्र देकर पद मुक्त करा दिया गया है जो सरासर अन्याय है। ग्राम पुसेम की आंगन बाडी कार्यकर्ता बहूत ही अच्छी व मिलनसार तथा गरीबों की मद्द करने वाली महिला है तथा वह बेकसुर है।

4 यह कि आवेदिका के पक्ष में निर्दोषिता करने एवं उसे पद पर बहाल किये जाने बाबत् उक्त शपथ पत्र माननीय न्यायाल के समक्ष उक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा शपथ आयुक्त जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर किया गया है।

सुखराम
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं सुखराम पोयामी पिता श्री रामा पोयामी आयु 56 वर्ष जाति-माड़िया, निवासी-ग्राम डोकम, ग्रामपंचायत-कबरगाली, थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर छ0ग0 का निवासी होकर शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 01 से 04 तक के समस्त तथ्य सत्य एवं सही है और आज दिनांक 17/11/2023 को स्थान जगदलपुर में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

सुखराम

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक :- 17/11/2023

भानु प्रसाद चौरसिया शपथ आयुक्त जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

सत्यापनकर्ता

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0।

विषय :- सी0ई0ओ0 जनपद पंचायत बास्तानार जिला बस्तर के द्वारा मुझ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पुसेम ग्राम पंचायत बिरगाली को सेवामुक्त करन दिये जाने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुती बाबत।

महानुभाव,

निवेदन है कि मैं श्रीमती रूकमणी सज्जन पति श्री जगबन्धु संज्जन उम्र 43 वर्ष जाति कलार निवासी ग्राम बास्तानार तहसील बास्तानार थाना कोडेनार जिला बस्तर छ0ग0 की होकर आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होकर ग्राम पंचायत बिरगाली के आश्रित ग्राम पुसेम में लगभग 21 वर्षो से पदस्थ थी, किन्तु दिनांक 18/08/2023 को कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार के द्वारा पत्र क्रं0 149/लेखा/2023-24 को एक कारण बताओ लिखित सूचना मुझे दिया गया था जिसके परिपालन में मैंने दिनांक 28/07/2023 को विस्तार पूर्वक जवाब प्रस्तुत कर उसकी प्रतिलिपि श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला बस्तर छ0ग0 श्रीमान परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार, सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली एवं श्री देवेन्द्र पटेल प्रदेश संयोजक संयुक्त आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु जवाब प्रस्तुत की थी, परन्तु कार्यालय जनदप पंचायत बास्तानार जिला बस्तर छ0ग0 के द्वारा मुझे पोस्ट के माध्यम से दिनांक 03/10/2023 को मेरे सेवा समाप्ती का आदेश पत्र भेजा गया था जो मुझे दिनांक 09/10/2023 को प्राप्त हुआ था। इस बात की जानकारी मैं ग्राम पंचायत बिरगाली के सरपंच, पटेल, कोट्वार एवं समस्त पंचगण तथा समस्त ग्रामवासियों से मैने जानकारी चाही की मेरी किसी गलती की सजा हेतु मुझे दिया गया है, मेरे पद से मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया है कहने पर ग्राम पंचायत के सरपंच के अतिरिक्त सभी पदधिकारी एवं ग्राम वासी अनभिज्ञ जाहिर किये की ऐसा कैसे हो सकता है बगैर किसी शिकायत के आपको सेवा मुकत कैसे किया जा सकता है। चलो हम आपके साथ है कहते हुये उन्होंने आवेदन पत्र के समर्थन में अपना अपना शपथ पत्र अलग प्रस्तुत किया है।

माननीय महोदय को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ग्राम पुसेम में व ग्राम पंचायत बिरगाली के किसी भी ग्राम के आगनबाडी के केन्द्र के कोई भी बदनियती बेमानी नहीं किया गया है मै बेकसुर व निर्दोष हूँ कुछ असंतुष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जो मेरे परिवार से दुशमनी रखते है उनके द्वारा फर्जी शिकायत पत्र पेश कर अधिकारियों को भड़काया गया है। यदि आपके द्वारा सेवा मे बहाली नहीं किया जाता है तो मजबुर होकर माननीय बिलासपुर

छ0ग0 के न्यायालय में विभाग के विरूद्ध अलग से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होउगी।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे आवेदन पत्र तकनिकी आधार पर व गोपनिय आधार पर विस्तार से जॉच कर जीन व्यक्तियों के द्वारा मेरे विरूद्ध फर्जी शिकायत पत्र दिया गया है उनपर कडी से कडी कार्यवाही करते हुये मुझे अपनी सेवा से बहाल किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा हो।

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक - 17/11/2023

आवेदिका
रुकमणी सज्जन
श्रीमती रुकमणी सज्जन
पति श्री जगबन्धु संज्जन आगन बाड़ी
कार्यकर्ता ग्राम पुसेम ग्राम पंचायत बिरगाली
स्थाई निवासी ग्राम बास्तानार तहसील
बास्तानार थाना कोडेनार जिला बस्तर छ0ग0

संलग्न दस्तावेज -

1. परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार के द्वारा सुपरवाजर बुधरीनाग के माध्यम से दिनांक 26/07/2023 को दिया गया कारण बताओं सूचना एवं स्पष्टीकरण का पत्र।

2. मेरे द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर एवं परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार को दिया गया कारण बाताओ की जानकारी।

3. कार्यालय जनपद पंचायत बास्तानार जिला बस्तर छ0ग0 के द्वारा दिया गया, पत्र क्रं0 1939/जन0स्था0/2023-24 दिनांक 03/10/2023 के सेवा समाप्ती का पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत बिरगाली के द्वारा हस्तलिखित जानकारी पत्र।

Scanned with OKEN Scanner